

12978



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



महोदय प्रमाणित
मि. 1000
महोदय प्रमाणित
महोदय प्रमाणित

K 934794

लीजडीड

मालियती 50,000/- प्रति वार्षिक देय स्टाम्प 6,000/-
अवधि 30 वर्ष हेतु
किराया 50,000/- रुपये वार्षिक ।

हमकि कमल सिंह पुत्र स्व० श्री होती सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर बॉसका
तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद भूमि मालिक प्रथमपक्ष एवं

ammy

41

क्रमांक 35 दिनांक 10/10/19-10-10
स्थायी कार्य करने का प्रमाण
किसी का नाम लीजड़ी
निवासी नारायण नारायण नारायण

(देवेन्द्र कुमार गोयल)
स्थायी अधिकारी नारायण नारायण हापुड
जिला गांधीबाद लाठ नं० 15
ता. 31-03-20

लीजड़ी 30 वर्ष 500000 वार्षिक
म. 300000/-

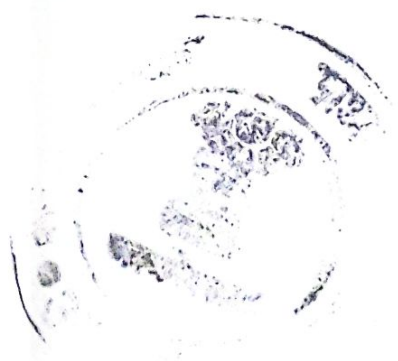
नि. शुल्क 6000/- प्रति शुल्क 50/ 6050/ 900
श्री कमल सिंह ४० श्री सीतल सिंह
पेशा खेती निवासी नारायण नारायण
ने कार्यालय तब रहित हापुड में आज दिनांक 19-10-10
तमयमध्य 1 व 2 वज प्रस्तुत किया।

उपनिबन्धक हापुड।
19-10-10



उक्त से

उक्त कमल सिंह पक्ष
व सीतल कुमार ४० कमल सिंह नि० उक्त
द्वि० पक्ष ने श्री सीतल किया।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 934795



2

एस0 एच0 वी0 एम0 पब्लिक स्कूल नरायनपुर बॉसका द्वारा सचिव श्री ललित कुमार पुत्र श्री कमल सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर बॉसका तहसील हापुड़ जिला गाजियाबाद किरायेदार द्वितीय पक्ष हैं ।

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

(दिवेन्त मुन्नाय पोयल)
स्वाम्य दिवेंता न. १००० मापुड
जिता माजिदायद हात नं. १५
लाइसेन्स अवधि ३१-०३-२०११

पहचान श्री सुन्दर
पुत्र श्री चंदर पेशा खेती
निवासी नरायनपुर बासका
त श्री सिनीद कुमाल
पुत्र श्री राजबहादुर पेशा खेती
निवासी अटियाना नेकी।

30 नो प्रथम
19-10-10

amm h 10 mly

21.32

1940-10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 934796

3

विदित होकि प्रथमपक्ष समिति भूमि स्थित ग्राम नरायनपुर बॉसका परगना डासना तहसील हापुड. जिला गाजियाबाद में सालिम एककिता अराजी सम्पत्ति रकवा 6500 वर्गमीटर जोकि खसरा नम्बर 638 व 716 में से है जिसके ~~पूरब में व भूमि~~ तन्हा मालिक व काबिज व स्वामी है जिसके पूरब में रास्ता पश्चिम में भूमि महेन्द्र सिंह की उत्तर में सड़क धौलाना गुलावठी रोड़ दक्षिण में भूमि कृपाल सिंह की है । भूमि आवासीय है नक्शा संलग्न विलेख है जिसे लीज पर देने का पूर्ण अधिकारी हूँ और उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सर्वाधिकार प्राप्त हैं प्रथमपक्ष उक्त भूमि को लीज पर उठाना चाहते है तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को लीज पर लेने के इच्छुक हैं । अतः प्रथमपक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तें तय पायी हैं:-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

पञ्चम सं. 37, तानराशि Local, दिनोंक 19-10-10
 रत्न 1/2, रत्न का प्रयोग, रत्न का नाम, निवासी

(देवेन्द्र कुमार चौकल)
स्टाम्प विभाग, जयपुर, राजस्थान 342001
जिला नगरपालिका लाहौर 15
लाहौर अविधि 31-03-20...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 934797

4

- 1- यह कि उक्त लीज की अवधि 30 वर्ष तय पायी गयी है ।
- 2- यह कि उक्त प्लॉट अकृषिक भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है इसकी बाउन्ड्री व 20 कमरे बने हुए हैं तथा एक प्राचार्य आफिस व लैट्रीन बाथरूम बने हुए हैं तथा एक ग्राउन्ड है ।
- 3- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्लॉट पर इमारत निर्माण की जायेगी उससे प्रथमपक्ष का कोई सम्बन्ध नहीं होगा । उक्त इमारत पर लगने वाले समस्त टैक्सों की अदायगी की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी तथा उक्त प्लॉट पर द्वितीय पक्ष को नक्शा पास कराने तथा पूरी अवधि में निर्माण तथा विनिर्माण का पूर्ण अधिकार होगा ।
- 4- यह कि उक्त प्लॉट पूर्ण रूप से पाक व साफ है इसमें कोई वाद विवाद नहीं है यदि उक्त भूमि पर कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी कारण से प्रथमपक्ष के मालिकाना अधिकार से सम्पत्ति निकल जाती है तो इस सन्दर्भ में द्वितीय पक्ष को होने वाली क्षति के लिए प्रथमपक्ष की पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

[Signature]

[Signature]

38
1000/- 19-10-10
मिवासी

(विशेष कर गौशाला)
स्टाम्प विभाग, गौशाला, गुरुकुल
जिला गौशाला, सं. 40
लाइसेंस अवधि 31-03-20



पु.सं.के.सं.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 934798

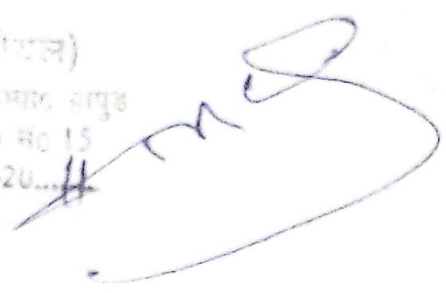
- 5
- 6- यह कि उक्त सम्पत्ति की लीज की अवधि दिनांक 1-6-2010 से 31-5-2040 तक तय पायी गयी है ।
- 7- यह कि दोनो पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारीगण उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन करते रहेंगे । लीज की अवधि पूर्ण होने पर लीज स्वतः ही निरस्त हो जायेगी ।
- विवरण स्टालमेन्ट :- (प्रत्येक 5 वर्ष बाद) जून माह में 2,50,000/- प्रथमपक्ष द्वितीय पक्ष से प्राप्त करता रहेगा ।

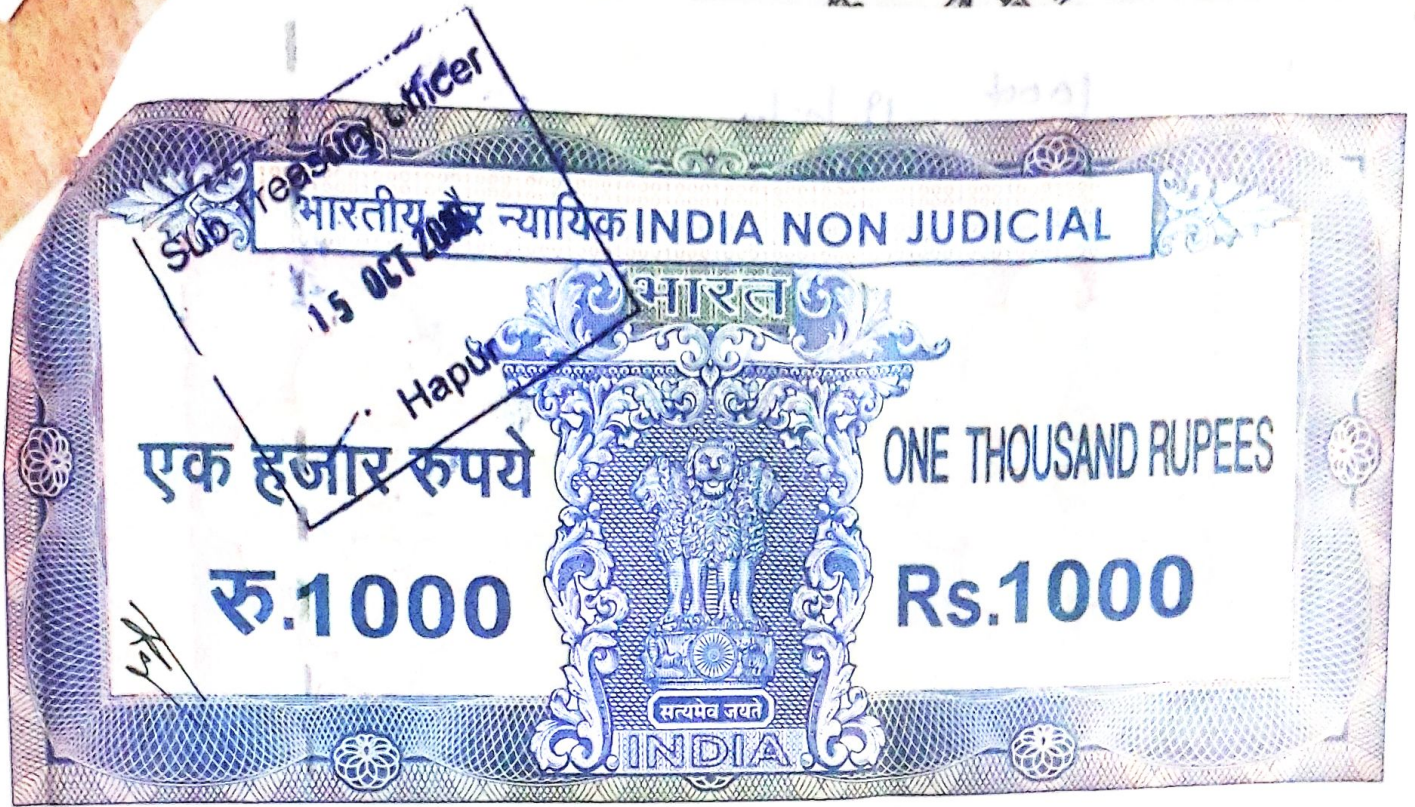
[Signature]

[Signature]

क्र. 39
संख्या 1000/- दिनांक 19-10-10
स्थान मुंबई
जिला मुंबई
निवासी ...

(देवेन्द्र कृष्ण मोदल)
संस्थान विवेक, वा.पी. कल्याण, लापुड
जिला गाजियाबाद एनो नं० 15
लाइसेंस अर्थात् 31-03-20...





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 934799

6

अतः यह लीजडीड अवधि 30 वर्ष की पक्षगण ने सहर्ष स्वेच्छा प्रसन्नता के साथ लिखा दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे । इति ॥ नोट : पार्त 3 की त्तर 4 में मब्द जितके व तन्हा के बीच कटा है।

cmr

[Signature]

गवाह सुन्दर चन्द नरनापुर बासका



गवाह श्री नन्द नन्दन राज नरनापुर बासका
गरी पाला



दिनांक:- 19-10-2010 ई0

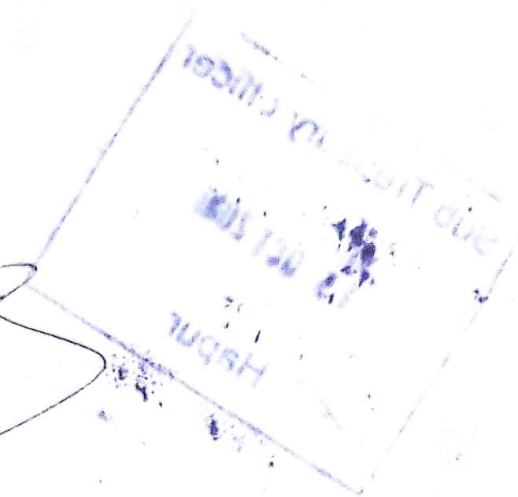
चरित्त कुमार तोमर

नैपुण लेखक

8:40 *[Signature]*

4000 दिनांक 19-10-10
 35
 जिला का नाम
 विभागी

(विदेन्द्र कुमार शर्मा)
 स्वामी विवेकानंद संस्थान काठमांडू
 जिला गाजियाबाद लाउ नं० 15
 लाइसेंस अंक 31-03-20



6869

390
 401

12978

19-10-10

